फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

महावीर बनाम गोपाल

मुकदमा नम्बर :– 03/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	07/8/25	प.क्र.उप.। बहस प्रा.पत्र 09R7 व 09R13 cpc पर सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा.नि. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। A. सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी:–प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

वाद पत्र संख्या :–03 / 2024

उनवानी

महावीर पुत्र गजेन्द्र सिंह, उम्र 58 वर्ष, जाति अहीर, निवासी ग्राम आलीसर ढ़ाणी कृष्णापुरी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती गोरा देवी पत्नी गणपत
2. कमली पुत्री गणपत
3. रामवतार पुत्र गणपत
4. मनभरी पुत्री गणपत
5. संतोष पुत्री गणपत
6. कोयली देवी पत्नी नाथू
7. लालचन्द पुत्र नाथू
8. बलदेव पुत्र नाथू
9. श्रवण पुत्र नाथू
10. श्यामलाल पुत्र नाथू
11. कानाराम पुत्र नाथू
12. सीता देवी पुत्री नाथू
13. गीता देवी पुत्री नाथू
14. लालचन्द पुत्र नाथू
15. तेजा पुत्र खेता
16. सुभाषचन्द पुत्र मोतीराम
17. अर्जुनलाल पुत्र मोतीराम
18. रामसिंह पुत्र मोतीराम
19. मंजू देवी पुत्री मोतीराम
20. हंसा देवी पुत्री मोतीराम
21. कंचन देवी पुत्री मोतीराम

    समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम कुम्भाकाबास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
22. केसरी देवी पत्नी मोतीराम
23. घीसी देवी पत्नी प्रभातीलाल
24. विमला पुत्री प्रभातीलाल
25. सुमन पुत्री प्रभातीलाल
26. नन्छी देवी पुत्री प्रभातीलाल
27. रीना देवी पुत्री प्रभातीलाल
28. सीमा पुत्री प्रभातीलाल
29. राजू पुत्री प्रभातीलाल
30. पूजा पुत्री प्रभातीलाल
31. प्रभाती देवी पत्नी दल्ला
32. मूंगाराम पुत्र दल्ला
33. बनवारी पुत्र दल्ला

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

34.भूरी पुत्री दल्ला
35.सरजू पुत्री दल्ला
36.गुलाब पुत्री दल्ला
37.सीता पुत्री दल्ला
38.श्रवणी देवी पत्नी सुवालाल
39.रामकिशोर पुत्र सुवालाल
40.ओमप्रकाश पुत्र सुवालाल
41.चन्दा पुत्र मंगला
42.पप्पू देवी पुत्री सुवालाल
43.प्रेम देवी पुत्री सुवालाल
44.भैरुराम पुत्र हनुमान
45.लालचन्द पुत्र हनुमान
46.कैलाश पुत्र हनुमान
47.लाडा देवी पुत्री हनुमान
48.प्रभाती देवी पत्नी कालूराम
49.माली देवी पुत्री कालूराम
50.भगवती पुत्री कालूराम
51.ममता पुत्री कालूराम
52.कमली पुत्री कालूराम
53.फूलचन्द पुत्र कालूराम
54.सुरेश पुत्र कालूराम
55.मुकेश पुत्र कालूराम
56.मालीराम पुत्र बालू
57.मुरली पत्नी बालू
58.हरलाल पुत्र रामचन्द्र
समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम कुम्भाकाबास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
59.तेजकरण पुत्र गजेन्द्र सिंह
60.भगवान सहाय पुत्र गजेन्द्र सिंह
61.महेन्द्र पुत्र गजेन्द्र सिंह
समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम आलीसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
62.अशोक कुमार पुत्र झूंथालाल
63.लक्ष्मीनारायण पुत्र मुरलीधर
64.नरेन्द्र पुत्र श्यामलाल
65.गजराजसिंह पुत्र सुरजमल
66.रामचन्द्र पुत्र सुखदेव
67.मोहन पुत्र सुखदेव
68.ताराचन्द पुत्र सुखदेव
69.कमला पुत्री सुखदेव
70.विमला पुत्री सुखदेव
समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम कुम्भाकाबास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
71.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
72.उपपंजीयक चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

आदेश

दिनांकः–07.08.2025

प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 3 की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी ग्राम आलीसर ढ़ाणी कृष्णांपुरी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का रहने वाला है तथा प्रार्थी वर्तमान में जयपुर एसएमएस में नौकरी करता है। वाद पत्र में वर्णित विवादित भूमियां हाल खसरा नम्बर 1154 रकबा 0.69 है0 व खसरा नं0 1155 रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम आलीसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर को वादीगण ने अन्य आराजियात को सम्मिलित करते हुये न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूं के यहां वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी गौरा देवी वगै0 बनाम तेजकरण वगै0 वाद सं0 32/218/2012 में एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2023 पारित की गई जिस निर्णय व डिक्री में प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1, 2, 4 की खातेदारी भूमि के बाबत अप्रार्थी/वादीगण ने एकपक्षीय निर्णय प्राप्त की गई है जो निर्णय व डिक्री कानूनन प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1, 2 व 4 के अधिकारों के विरुद्ध प्रारम्भ से शून्य व बेअसर है। भूमि विवादग्रस्त में हाल खसरा नं0 1125, 1154, 1155 की भूमियां ही विवादग्रस्त बताते हुये वाद पत्र पेश किया है जिस वाद पत्र को दिनांक 19.09.2012 को दर्ज कर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये थे। वादीगण ने दिनांक 18.03.2014 को रजि0एडी0 के नोटिस जारी किये गये जो नोटिस वादीगण ने दिनांक 12.05.2014 के जारी किये गये थे। दिनांक 12.05.2014 को जनरल तारीख पेशी दिनांक 28.07.2014 नियत की गई तथा दिनांक 28.07.2014 को भी जनरल तारीख पेशी दिनांक 22.09.2014 दी गई थी तथा दिनांक 22.09.2014 को जनरल तारीख पेशी दिनांक 27.10.2014 दी गई थी। दिनांक 27.10.2014 को न्यायालय द्वारा आदेशिका में दिनांक 07.05.2014 की डाक रसीदें को एक माह से अधिक समय की होने से प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई शेष की पुनः तलबी हेतु दिनांक 22.12.2014 को पेश हो। पत्रावली वास्ते तलबी विचाराधीन चल रही थी। दिनांक 28.04.2015 को प्रतिवादी सं0 5, 6, 14 व 15 बाद तामील अनुपस्थित रहे, उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब दावा दिनांक 23.06.2015 को पेश हो, उसके बाद दिनांक 23.06.2015 को जनरल तारीख तथा दिनांक 03.02.2016 को जवाब दावा हेतु समय चाहा वास्ते जवाब दावा दिनांक 17.03.2016 को पेश हो तथा उसके बाद दिनांक 25.04.2016 से लगातार जनरल तारीख होने के बाद दिनांक 19.01.2018 को जवाब दावा हेतु अन्तिम अवसर दिया गया तथा दिनांक 12.02.2018 से लगातार जनरल तारीख दिनांक 04.10.2019 न्यायालय द्वारा जवाब वास्ते न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया गया तथा दिनांक 18.12.2019 को जवाब दावा बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 13.01.2020 को पेश हो। उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमूं से दिनांक 20.05.2020 को श्रीमान जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा क्षेत्राधिकार आवंटन आदेश से उक्त पत्रावली न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूं, जिला जयपुर के पुनः दर्ज रजिस्टर हुई जिसमें मुकदमा नम्बर 32/218/2012 दर्ज हुए एवं जनरल तारीख पेशी होने के बाद दिनांक 24.

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

12.2020 को साक्ष्य वादी हेतु समय दिया गया था तथा लगातार जनरल तारीख पेशियां दिनांक 13.05.2023 तक दी गई थी। उक्त पत्रावली दिनांक 13.05.2023 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 कैम्प कोर्ट ग्राम आलीसर में पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित हुए। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से वाद पत्र को वादीगण द्वारा चाहे गए अनुतोष अनुसार डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। पक्षकारान को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय अभिमत में पत्रावली को डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद पत्र को डिक्री फरमाया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। उक्त वाद पत्र प्रार्थी को न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 13.05.2023 को प्रशासन गांवों के संग अभियान की किसी प्रकार से सम्मन की सूचना नहीं दी गई, ना ही अन्य प्रतिवादीगण सं0 1 ता 13 को सूचना दी गई बल्कि उक्त दिनांक 13.05.2023 को मात्र वादीगण सं0 32, 33, 42, 46, 47, 18, 15 ने ही उपस्थित होकर आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये गये थे तथा प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी व्यक्ति न्यायालय श्रीमान के समक्ष ना तो उपस्थित आया, ना ही किसी भी प्रकार की सूचना दी गई। मात्र वाद पत्र को वादीगण की सहमति के आधार पर ही अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2023 को कर दी गई जो निर्णय व डिक्री प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 3 व परफोर्मा अप्रार्थी सं0 59, 60, 61 के अधिकारों के प्रति गैर कानूनी विधिक प्रावधानों के विपरीत बिना सुनवाई के किया गया। निर्णय व डिक्री कानूनन अपास्त एवं निरस्त किये जाने योग्य है। वादपत्र में वर्णित भूमियां विवादग्रस्त से अप्रार्थीगण/वादीगण का किसी भी प्रकार का संबंध व सरोकार ना तो पूर्व में था ना ही वर्तमान में है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 59, 60, 61 की खरीदशुदा भूमि साबिक खसरा नं0 508/1 रकबा 30 बीघा 17 बिस्वा का हिस्सा 1/2 भाग व हिस्सा 1/2 भाग अप्रार्थी सं0 62 व 63 की खरीदशुदा भूमि है जिसके हाल खसरा नं0 1153, 1154, 1155 हैं। उक्त भूमियां जो ग्राम आलीसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित है जिन भूमियों से अप्रार्थीगण/वादीगण सं0 1 ता 59 का किसी भी प्रकार का संबंध सरोकार नहीं है। अप्रार्थीगण/वादीगण ने हाल खसरा नं0 1153 व 1154 की खातेदारी दुरुस्त करवाने का बिना किसी अधिकार के वाद पेश किया है। उक्त वाद पत्र में न्यायालय श्रीमान द्वारा तहसीलदार चौमूं प्रतिवादी सं0 14 से किसी भी प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई जिससे सम्पूर्ण खातेदारी की जानकारी हो सके। अप्रार्थीगण/वादीगण सं0 1 ता 9 ने बराय बदनियती से गलत रुप से वाद पत्र में न्यायालय श्रीमान को मुगालते में रखकर व तथ्यों को छिपाकर वाद पत्र को डिक्री करवाया गया है जो निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2023 विधि सम्मत व कानूनन प्रावधानों के विपरीत होने व एकपक्षीय निर्णय व डिक्री होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 3 को न्यायालय श्रीमान के एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2023 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.12.2023 को अप्रार्थी/वादी सं0 15 गोपाल पुत्र खेता ने ग्राम आलीसर में ऐलानियां कहा कि हमने महावीर वगै0 की खातेदारी की भूमियां दिनांक 21.12.2023 को न्यायालय के पुनः निर्णय करवाया है जिस निर्णय के आधार पर हम अप्रार्थीगण/वादीगण सं0 1 ता 59 के नाम खसरा नं0 1154 व 1155 की खातेदारी तहसीलदार चौमूं के गिरदावर व पटवारी से खुलवाकर नाम करवाये, जिस धमकी से प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 3 महावीर ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तथा दिनांक 21.12.2023 के निर्णय की जानकारी दी,

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

जिस पर अधिवक्ता द्वारा दिनांक 28.12.2023 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल दिनांक 29.12.2023 को प्राप्त होने पर व नकल को देखने से जानकारी हुई कि उक्त पत्रावली में न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2023 को ही एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की जा चुकी है जिस निर्णय व डिक्री व पत्रावली में प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 3 महावीर व अन्य प्रतिवादीगण सं0 1, 2 व 4 को किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2023 विधि विधान के विपरीत होने से प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 3 को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही जारी किया गया है जो निर्णय व डिक्री कानूनन निरस्त किये जाने योग्य है। इस कारण प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 3 को न्यायालय श्रीमान को प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियां हाल खसरा नं0 1154 व 1155 की भूमियों में प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 3 व अप्रार्थी सं0 59, 60 व 61 का खातेदारी हिस्सा 1/2 भाग का खातेदार है तथा मौके पर अर्सेदराज से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर सीमा कायम चली आ रही है। मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 59, 60 व 61 अपने हिस्सा 1/2 भाग पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 3 ने अपने हिस्से की खातेदारी भूमि का तकासमा करवाने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमूं के एक वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा महावीर बनाम तेजकरण वगै0 वाद सं0 128/2014 व प्रार्थना पत्र सं0 122/2014 विचाराधीन चल रहे थे जिसमें न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया था जो स्थगन आदेश का प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्राम आलीसर में दिनांक 01.06.2017 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा चुका है तथा विवादित भूमियों की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी है तथा वाद पत्र विचाराधीन रहते हुए वर्तमान में वाद पत्र न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूं में विचाराधीन चल रहा है तथा उक्त वाद पत्र के वाद सं0 26/128/2014 विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.01.2014 नियत है। वाद सं0 32/2018/2012 में न्यायालय श्रीमान द्वारा एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2023 जो पारित किया गया था उक्त निर्णय व डिक्री जारी करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान द्वारा जो प्रथम सूचना नोटिस तहसीलदार चौमूं को नहीं भिजवाया गया, ना ही नोटिस में आदेश 18 नियम 5 सी.पी.सी. की पालना की गई। मात्र दिनांक 12.05.2014 को जो नोटिस जारी किये गये जो नोटिस रजि0एडी0 के जारी किये हैं जिन सम्मन नोटिस में जो पता लिखा गया व पता ग्राम कुम्भाकाबास का लिखा गया है जबकि प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 3 महावीर व उसके परिवारजन अर्सेदराज से ग्राम आलीसर ढ़ाणी कृष्णापुरी में निवास करते हैं जिनको उक्त नोटिस की सूचना डाकिये द्वारा नहीं दी गई है। इस कारण प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 3 को उक्त वाद पत्र में जारी एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2023 को निरस्त कर प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 3 की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त वाद पत्र में जारी एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2023 को निरस्त नहीं फरमाया गया व प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 3 को नहीं सुना गया तो प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 3 व अन्य परिवारजन अपनी भूमियों से महरुम हो जायेंगे तथा बेवजह मुकदमेबाजी में फंसना पड़ेगा तथा मुकदमेबाजी बढ़ेगी। इस कारण न्यायालय श्रीमान द्वारा जारी एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2023 को निरस्त कर प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 3 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 3 महावीर का

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद सं0 32/218/2012 बउनवानी गौरा देवी वगै0 बनाम तेजकरण वगै0 में एकपक्षीय आदेश दिनांक 27.10.2014 व एकपक्षीय निर्णय आदेश संशोधित दिनांक 21.12.2023 व एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2023 को निरस्त फरमायी जाकर उक्त वाद पत्र में प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 3 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थी/वादीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि वादीगण ने खसरा नं0 1125, 1154, 1155 को विवादग्रस्त बताकर वाद पेश किया गया था जिसके अनुसार सेटलमेन्ट विभाग ने गलत रिकॉर्ड तैयार कर खसरा नं0 1154 व 1155 की खातेदारी प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 के नाम गलत लगा दी जबकि साबिक नक्शा व मौके के अनुसार उक्त दोनों खसरा नं0 1154 व 1155 साबिक खसरा नं0 508/2 जो कि वादीगण की खातेदारी के थे से बनने चाहिये थे उसके बदले में प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नं0 1181/1415, 1183/1416 व 1188/1417 की खातेदारी वादीगण के नाम लगा दी जबकि उक्त भूमि वास्तविक रुप से प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 की होनी चाहिये थी। वादीगण ने सेटलमेन्ट विभाग द्वारा गलत रिकॉर्ड बनाने व गलत खातेदारी देने की दुरुस्ती का दावा पेश किया गया है जिसमें न्यायालय श्रीमान द्वारा नियमानुसार तामील करवायी गयी तथा बावजूद तामील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये तो न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 27.10.2014 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी को उक्त वाद की शुरु से जानकारी रही है परन्तु वह जानबूझकर न्यायालय श्रीमान के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। वादीगण का खसरा नं0 1154 व 1155, 1125 पर शुरु से कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त कब्जा काश्त की मौके की रिपोर्ट लेने हेतु प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान द्वारा तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जिस पर उपतहसीलदार गोविन्दगढ़ दिनांक 21.06.2022 को मौका स्थल पर गये और मौका स्थल की रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश की, उक्त रिपोर्ट शामिल पत्रावली है उक्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं0 1154, 1155 व 1125 पर वादीगण का कब्जा काश्त पाया गया है। इससे यह साबित होता है कि न्यायालय श्रीमान द्वारा पारित निर्णय व डिक्री सही है केवल प्रार्थी द्वेषतावश उक्त निर्णय व डिक्री को निरस्त करवाना चाहता है। वादीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय श्रीमान के समक्ष आये थे और उन्होने सेटलमेन्ट विभाग द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में की गई गलती को दुरुस्त करवाने हेतु दावा पेश किया था जिसके अनुसार प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 की भूमि जो कि गलत रुप से वादीगण के नाम खातेदारी हो गई थी उसकी भी दुरुस्ती की इस्तदुआ चाही जिसको स्वीकार करते हुये न्यायालय श्रीमान अपने निर्णय व डिक्री में खसरा नं0 1181/1415, 1183/1416 व 1188/1417 की खातेदारी वादीगण से हटाकर प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 के नाम किये जाने का आदेश दिया गया, जिससे भी साबित होता है कि उक्त निर्णय व डिक्री से वादीगण व प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड का अंकन सही होता है व दोनों का ही विवाद अन्तिम रुप से दुरुस्त होता है परन्तु प्रार्थी की नियत में खोट है तथा वह विवाद का अन्त नहीं चाहता है तथा विवाद को बढ़ाना चाहता है, जिस कारण भी उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। दिनांक 13.05.2023 को राज्य सरकार द्वारा काश्तकारों की परेशानी को दूर करने व राजस्व रिकॉर्ड को सही करने हेतु राजस्व कैम्प का आयोजन किया गया था उसी उद्देश्य के अनुरुप उक्त पत्रावली के वादीगण व प्रतिवादीगण के राजस्व रिकॉर्ड की दुरुस्ती हेतु निर्णय व डिक्री सही रुप से पारित की गई तथा उक्त

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

निर्णय व डिक्री से दोनों पक्ष उपस्थित व सहमत थे। परन्तु प्रार्थी की नियत में शुरु से ही खोट था, इसी कारण उसने दिनांक 13.05.2023 को पत्रावली पर हस्ताक्षर नहीं किये। न्यायालय श्रीमान द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2023 से प्रकरण के किसी भी प्रकार का कोई अहित नहीं होता है बल्कि दोनों पक्षों के राजस्व रिकॉर्ड की दुरुस्ती होती है तथा इसी उद्देश्य से राजस्व कैम्प लगाया गया था उसमें पारित निर्णय व डिक्री सही हैं जिसको निरस्त करने से दोनों पक्षों को नुकसान होगा।

अप्रार्थी सं0 62 व 63 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र इस प्रकार पेश किया गया है कि वादीगण द्वारा गुपचुप तरीके से प्रशनगत खसरा नम्बर में मिन प्रतिवादी की खातेदारी के अधिकारों से बंचित करने का न्यायालय से आदेश करवाया है जो खारिज किये जाने योग्य है। मिन अप्रार्थीगण साबिक खसरा नं0 508/1 के हाल खसरा नं0 1153, 1154 व 1155 के हिस्सा 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार हैं। अप्रार्थीगण/वादीगण सं0 1 ता 59 का किसी प्रकार का संबंध व सरोकार नहीं है। न्यायालय द्वारा उक्त खसरा नम्बर के संबंध में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2023 दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। मिन अप्रार्थीगण को उक्त तथाकथित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2023 को अपास्त किया जाकर सुनवाई का समुचित दिया जाना न्यायोचित व आवश्यक है अन्यथा मिन अप्रार्थीगण अपने खातेदारों हक अधिकारों से वंचित हो जावेगा।

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय के वाद सं0 32/218/2012 बउनवानी गौरा देवी वगै0 बनाम तेजकरण वगै0 में एकपक्षीय आदेश दिनांक 27.10.2014 व एकपक्षीय निर्णय आदेश संशोधित दिनांक 21.12.2023 व एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2023 कानूनी प्रक्रिया का पूर्णतः अनुसरण किया जाकर विचारण किया जाकर एवं समस्त कानूनी प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए ही गुणावगुण पर प्रकरण में विधि सम्मत आदेश पारित किया गया था। न्यायालय अभिमत में प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 07.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)